कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अलवर

—: तकनीकी बोली प्रपत्र :—

(लिफाफा न0 1)

सुनील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राजा०)

1	किस्म बोली	:	स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य
2	बोलीदाता फर्म का नाम व पता	:	....
			....
	टेलिफोन नम्बर		
	1 कार्यालय	:	....
	2 निवास	:	....
	3 मोबाईल	:	....
3	संदर्भ	:	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर की बोली सूचना संख्या निअ / लोसउचु / 2017 / 2551-67 दिनांक 15/12/17
4	किसको सम्बोधित किया गया है।	:	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर
5	बोली शुल्क रूपये	:	(1) 500 / — रू (पाँच सौ मात्र) (2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक...........

6 मै / हम जिला निर्वाचन अधिकारी ,कलक्टर अलवर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या जिनिअ / लो.स.उ.चु / 2017 / 2551-67 दिनांक 15/12/17 मे वर्णित समस्त शर्तो से तथा संलग्न में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ / करते है) (इनके समस्त पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने वाले के प्रमाण में मैने / हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)

7 स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।

8 तकनीकी योग्यता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र यथा बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने का प्रमाण, पैन कार्ड की फोटो प्रति, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वित्तीय क्षमता हेतु गत तीन वर्ष का कुल 02 लाख का टर्न आवर जिसमे न्यूनतम 60 हजार प्रतिवर्ष टर्न आवर का प्रमाण, वैट शोधन प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.17 तक, विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. प्रपत्र—11, ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रू.के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र, लघु उधोगो की दशा मे जिला उघोग केन्द्र द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण एंव बोली प्रपत्र शर्तो सहित मय हस्ताक्षरित संलग्न है।

9 बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।

10 बोली प्रतिभूति राशि रूपये 4000 / — (चार हजार रूपये) निम्नानुसार संलग्न है।
डीडी संख्या .... दिनांक............................... बैंक की शाखा का नाम ....

11 संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।

दिनांक:—

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अलवर

सुनील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

तकनीकी योग्यताएँ :—स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य

क्रंस.	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
1	बोलीदाता को किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, प्राधिकरण निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।	राशि रूपये 50/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र।
2	बोलीदाता का लगातार गत तीन वित्तीय वर्षो (2014—15, 2015—16, 2016—17) में कुल 02 लाख का टर्न आवर जिसमे न्यूनतम 60 हजार प्रतिवर्ष टर्न आवर होना चाहिए।	गत तीन वर्षो की अंकेक्षित बैलेंस सीट एंव चार्टेड अकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्न ऑवर प्रमाण पत्र
3	बोलीदाता के पास जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन होंना चाहिए।	रजिस्ट्रेशन प्रमाण — पत्र की स्वयं सत्यापित छायांप्रति
4	बोलीदाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	पैनकार्ड की स्वयं सत्यापित छायांप्रति।
5	बोलीदाता फर्म के विरूद्ध वर्ष 2016—17 का वैट बकाया नहीं होंना चाहिए।	सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिकर अधिकारी से दिनांक 31.03.17 तक का वैट चुकता प्रमाण--पत्र की स्वयं सत्यापित छायांप्रति ।
6	बैंक खाता विवरण	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति

नोट :— तकनीकी बोली मे सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अलवर

प्राईस–शिड्यूल

स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य हेतु

(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

क्र० सं०	सेवा / सामग्री / प्रदाय का विवरण	विशिष्ठियां	अनुमानित मात्रा	दरे			दर की ईकाई
				दर	जीएसटी	कुल	
1	Steel Trunk Made of G.I. Sheet 22 SWG	लम्बाई– 36 इंच चौडाई– 24 इंच ऊचाई– 24 इंच दो कुन्दे और दोनो तरफ दो–दो हैंडल सहित **ढक्कन मे 3,नीचे की तरफ 3,सामने 3,पीछे 2,साईडो मे एक–एक यू शेप मे 3 इंची 22 गेज मे सर्पोट सहित**	50				प्रति नग
		लम्बाई– 36 इंच चौडाई– 24 इंच ऊचाई– 18 इंच दो कुन्दे और दोनो तरफ दो–दो हैंडल सहित **ढक्कन मे 3,नीचे की तरफ 3,सामने 3,पीछे 2,साईडो मे एक–एक यू शेप मे 3 इंची 22 गेज मे सर्पोट सहित**	50				प्रति नग

1. सामग्री आपूर्ति के समय लागू जीएसटी की दरे मान्य होगी।
2. दरो की तुलना दर व जीएसटी के योग पर की जावेगी। जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम में पंजीकृत बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर जीएसटी सहित मानी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अलवर

जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर (राज.)

लोकसभा उपचुनाव 2017 के संबंध में स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य की शर्तें

1. बोलीदाता को बोलियॉ पृथक--पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर " स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य के लिए तकनीकी बोली अंकित हो मय बोली प्रतिभूति राशि रूपये 4,000/-- का बैंक ड्राफ्ट (जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर के नाम देय) तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तो के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों, होंने चाहिए। नकद ,चैक, या अन्य किसी प्रकार से देय प्रतिभूति राशि मान्य नही होगी। द्वितिय लिफाफा जिस पर स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो के लिफाफे एक बडे लिफाफें में बन्द कर लिफाफे पर " **स्टील ट्रंक सप्लाई कार्य** " अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure A, B, C & D एंव एस.आर. प्रारूप--11 अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
3. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
4. बोलीदाता फर्म को संबंधित प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार निर्देशित स्थान पर आदेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में माल की आपूर्ती करनी होगी
5. दरें एफ.ओ.आर--जिला निर्वाचन स्टोर अथवा जहां कहीं उन्हें आपूर्ति करने हेतु आदेशित किया जावे, होगी।
6. दरो की तुलना दर व जीएसटी के योग पर की जावेगी। जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम में पंजीकृत बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर जीएसटी सहित मानी जावेगी।
7. सामग्री आपूर्ति के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे मान्य होगी।
8. बोलीदाता द्वारा उन सामग्रियों के संबंध में, जिनके सम्मुख बोली प्रपत्र में विशिष्ठी के कॉलम में कोई मेक/विशिष्ठता अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में स्वयं की मेक अथवा विशिष्ठता कोई हो, तो दर के साथ अंकित की जावेगी।
9. बोलियां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने का प्रमाण, पैन कार्ड प्रमाण पत्र ,जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वित्तीय क्षमता हेतु गत तीन वर्ष का कुल 02 लाख का टर्न आवर जिसमे न्यूनतम 60 हजार प्रतिवर्ष टर्न आवर , वैट शोधन प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.17 तक, एस.आर. प्रपत्र--11, 50रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी शपथ पत्र, लघु उधोगो की दशा मे जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, बैक खाता विवरण एवं , बोली प्रपत्र एंव शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।

9 बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम ,ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।

10 फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।

11 संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगां जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्व होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

12 कोई भी व्यक्ति या फर्म जो उस राज्य मे जहॉं उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नही है, बोली प्रस्तुत नहीं करेगा। रजिस्ट्रीकरण संख्यांक वर्णित किया जाना चाहिए और संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से प्राप्त दिनांक 31.03.17 तक समाशोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिसके अभाव मे बोली अस्वीकृत कर दी जावेगी।

13 बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।

14 दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगं अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज.)

15 दरों की तुलना करते समय राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान के भीतर [illegible] द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान हेतु अधिकृत नहीं हैं, निविदत्त दरों की तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर को शामिल नही किया जावेगा, तथापि केन्द्रीय बिक्री कर, यदि कोई हो, को शामिल किया जावेगा।

16 दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से एक वर्ष के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

17 सफल बोलीदाता के लिए यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य एक दक्ष एंव निपुण व्यक्ति के स्तर का होगा। त्रुटि या संदेह की स्थिति में संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, वह जिला निर्वाचन अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा।

18 सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/ऐजेंसी को नहीं सौपेगा या सब लेट नहीं करेगा।

19 सम्पादित किया जाने वाला कार्य/प्रदत्त की गई सामग्री अथवा सेवा, निर्वाचन आयेाग के निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तो के अनुरूप एवं अध्याधीन है।

20 सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तियुक्त समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधी को निरीक्षण/परिक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का निरीक्षण कराया जावेगा एवं आवश्यक होने पर उचित निर्देश प्राप्त करेगा।

21 निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नही होगा, उसे रद्द करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा।

22 इस बोली का कार्य क्षेत्राधिकार, अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होगा।

23 सफल बोलीदाता को जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर के कार्यालय में अपना एक प्रतिनिधि सदैव उपस्थित रखना होगा जो संबंधित प्रभारी अधिकारी के सम्पर्क में रहेगा तथा उसके निर्देशन में कार्य/आपूर्ति करेगा।

24 बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि रुपये 4000/– अक्षरे चार हजार रुपये मात्र का डी०डी०/बैंकर्स चैक जमा कराना होगा। इस बोली प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :–

- जब बोलीदाता बोली खोले जाने पश्चात्, किन्तु बोली की स्वीकृति से पूर्व बोली वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
- जब बोलीदाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो सम्पादित नही करता।
- जब प्रदाय आदेश दिये जाने पश्चात् बोलीदाता प्रतिभूति राशि जमा नही करता।
- जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों को प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

25 उपापन समिति किसी भी बोली को/उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है। किसी भी बोली को स्वीकृत करने अथवा नही करने का उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा एंव सभी को मान्य होगा।

- सफल बोलीदाता को निर्धारित अवधि में बोली सूचना की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत, प्रतिभूति निक्षेप राशि का मद 8443–सिविल निक्षेप/103 प्रतिभूति निक्षेप के अधीन जमा कराये गये नगद चालान के माध्यम से या जरिये डी0डी0/बैंकर्स चैक जमा करानी होगी, जिसमें बोली प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि का समायोजन किया जा सकेगा। इस प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः निम्नानुसार समपहरण किया जा सकेगा :
- जब संविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तों को भंग किया जाता हैं।
- जब बोलीदाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
- इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर का निर्णय अंतिम होगा।

26 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड–प्रथम के भाग द्वितीय के नियम–68 में अभिकथित प्रारूप एस.आर–16 के इस संविदा/बोली का भाग समझा जावेगा, जो बोलीदाता पर सामान्य रूप से प्रभावी समझा जावेगा।

27 सफल बोलीदाता को प्रारूप एस.आर–17 में एक करार बोली मूल्य के 0.25 प्रतिशत राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तीन दिवस में कराना होगा।

28 बोली प्रारूप में सुपुर्दगी हेतु निर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाऐगा और सफल बोलीदाता, जिला निर्वाचन अधिकारी/सक्षम अधिकारी से आदेश की प्राप्ति पर, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।

1. निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में उस सामग्री/सेवा जिसका प्रदाय करने में बोलीदाता विफल रहा है, के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर वसूली की जावेगी।

क– विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब –अढाई प्रतिशत

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर (राज0)

ख– विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधे से अनधिक कालावधि तक का विलम्ब – पॉच प्रतिशत

ग– विहित कालावधि से आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि विलम्ब –साढे सात प्रतिशत

घ– विहित कालावधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिये – दस प्रतिशत

2. प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना करदी जावेगी यदि वह आधे दिन से कम है।

3. निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम दस प्रतिशत होगी ।

4. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओ के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय मे वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित मे उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिससे प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल/सेवा के प्रदाय में विलम्ब की बोलीदाता के नियन्त्रण से परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना, बढाया जा सकेगा ।

29 यदि बोली सूचना में अथवा आदेशित मात्रा में, जैसी भी स्थिति हो, दर्शित मात्रा से अधिक के आदेश दे दिये जाते हैं, तो भी बोलीदाता अपेक्षित माल की पूर्ति हेतु आबद्व होगा। बोली में दी गई दरों और शर्तों पर पुनरादेश भी किया जा सकेगा। यदि बोलीदाता ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा किये गये किसी भी कार्य/प्रदाय का भी भुगतान नही किया जा सकेगा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था सीमित बोली से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य बोलीदाता से वसूली योग्य होगा।

30 यदि जिला निर्वाचन अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी निविदत्त सामानों में से किसी भी सामान के प्रदाय का आदेश नही करता या बोली प्रारूप मे वर्णित मात्रा से कम आदेशित करता है, तो बोलीदाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।

31 बोलीदाता को बोली खोलने के समय स्वयं उपस्थित रहना होगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो उसी दिन नेगोशियेशन करना होगा/नेगोशियेशन की दरें प्रस्तुत करनी होगी।

32 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित सक्षम न्यायालय में प्रवृत्त की जावेगी।

33 बोली पूर्णतः या आंशिक स्वीकृत होने पर करार पत्र एंव धरोहर राशि सम्पूर्ण बोली मूल्य के अनुसार ही संपादित, जमा करानी होगी।

34 नियमानुसार आयकर/जीएसटी टीडीएस काटकर ही भुगतान किया जावेगा।

मै/हम कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अलवर द्वारा जारी की गई खुली प्रतियोगी बोली सूचना .... दिनांक................. में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

सुनील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज.)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अलवर

(तकनीकी बोली लिफाफा नं.1)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी हैं, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्मिता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत(Forfeited) कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

सुनील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflicr of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………………. for procurement of ………………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated………….. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

अ जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________
The designation and address of the Second Appellate Authority is ______________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

सुनील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc I

सुनील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Doc1

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अलवर (राज०)

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.